ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. ECI/PN/02/2024 **Dated: Jan 4, 2024**

Press Note

The Commission has been receiving applications from Registered Unrecognized Political Parties (RUPP) in prescribed proforma for allotment of Common Symbol to the parties under the Provisions of Para 10B of the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 1968.

2. As per the Commission's instruction no. 76/PPEMS/Transparency/2013, dated 29th August, 2014 and instruction no. 76/PPEMS/Transparency/2014, dated 14th October, 2014, Registered Unrecognised Political Parties (RUPPs) are required to submit their financial reports which include Contribution Reports, Audited Annual Accounts and Election Expenditure Statement (full & part) with the Chief Electoral Officer of the State / UT concerned where their party headquarters is situated, in compliance with Section 29C of the Representation of the People Act, 1951.

3. The Commission has decided to give concession of Common Symbol Allotment to RUPPs which have furnished Contribution Reports and Audited Annual Accounts for the last three Financial Years and Election Expenditure Statement(s) of the Party, for the last two elections the Party has contested, if any.

4. Accordingly, the Commission has revised the proforma of application for Common Symbol Allotment under the provisions of Para 10 B of the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 1968. The party seeking Common Symbol Allotment from 11th January, 2024 onwards, has to furnish a declaration, duly signed and notarized, as per Annexure III confirming the following: -

i. The application is furnished by present and authorized Office Bearer of the party;

ii. The Party has submitted contributions report and Audited Annual Accounts for the last three Financial Years, to the office of the Chief Electoral Officer of the State where the party is having its headquarters (proof of service should be attached); and

iii. The Party has also submitted Election Expenditure Statement(s) of the Party, for the last two elections the Party has contested (if any), to the office of

the Chief Electoral Officer of the State where the party is having its headquarters (proof of service should be attached).

5. The **revised proforma** of application for Common Symbol Allotment under the provisions of Para 10 B of the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 1968 is available at Commission website with the following path:- https://www.eci.gov.in/files/file/15571-revised-proforma-of-application-for-allotment-of-common-symbol-under-para-10-b-of-symbol-order-1968/

Anuj Chandak
Joint Director (Media)

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/पीएन/02/2024 दिनांकः 04 जनवरी, 2024

<u>प्रेस नोट</u>

आयोग को पंजीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों (आरयूपीपी) से निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 10ख के प्रावधानों के अंतर्गत राजनैतिक दलों को एक समान प्रतीक का आबंटन करने के लिए विहित प्रोफार्मा में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

2. आयोग के अनुदेश सं. 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013 दिनांक 29 अगस्त, 2014 और अनुदेश सं. 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2014 दिनांक 14 अक्तूबर, 2014 के अनुसार पंजीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों (आरयूपीपी) के लिए अपेक्षित है कि वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ग के अनुपालन में अपनी वित्तीय रिपोर्टें, जिनमें अंशदान रिपोर्टें, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा एवं निर्वाचन व्यय विवरण (पूर्णतः एवं अंशतः) शामिल है, उस संबंधित राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें जहां उनका दलीय मुख्यालय अवस्थित है।

3. आयोग ने निर्णय लिया है कि उन पंजीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों (आरयूपीपी) को एक समान प्रतीक के आबंटन में रियायत दी जाए जिन्होंने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अंशदान रिपोर्टें और लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा तथा यदि दल ने चुनाव लड़ा हो तो पिछले दो चुनावों के निर्वाचन व्यय विवरण प्रस्तुत किए हैं।

4. तद्नुसार, आयोग ने निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 10ख के प्रावधानों के अंतर्गत एक समान प्रतीक आबंटन के लिए आवेदन के प्रोफार्मा में संशोधन किया है। 11 जनवरी, 2024 से आगे एक समान प्रतीक का आबंटन चाहने वाले दल को अनुबंध-।।। के अनुसार विधिवत रूप से हस्ताक्षरित एवं नोटरीकृत ऐसी घोषणा प्रस्तुत करनी है जिसमें निम्नलिखित बातों की पुष्टि की गई होः-

i. आवेदन दल के वर्तमान एवं अधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया हो;

ii. दल ने उस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अंशदान रिपोर्टें और लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत की हो जहां दल का अपना मुख्यालय स्थित है (तामील का सबूत संलग्न किया जाना चाहिए);

iii. दल ने उस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को, उसके द्वारा यदि पिछले दो चुनावों में चुनाव लड़ा गया हो तो उनका निर्वाचन व्यय

विवरण प्रस्तुत किया गया हो जहां दल का अपना मुख्यालय स्थित है (तामील का सबूत संलग्न किया जाना चाहिए);

5. निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 10ख के प्रावधानों के अंतर्गत एक समान प्रतीक आबंटन के लिए आवेदन का **संशोधित प्रोफार्मा** आयोग की वेबसाइट में निम्नलिखित पथ:-https://www.eci.gov.in/files/file/15571-revised-proforma-of-application-for-allotment-of-common-symbol-under-para-10-b-of-symbol-order-1968/ पर उपलब्ध है।

ह./-

(अनुज चांडक)

संयुक्त निदेशक (मीडिया)

PROFORMA OF APPLICATION FOR ALLOTMENT OF COMMON SYMBOL UNDER PARA 10B OF THE ELECTION SYMBOLS (RESERVATION AND ALLOTMENT) ORDER, 1968

(Name of the party – Letter head of the party)

To

The Secretary
Election Commission of
India, Nirvachan Sadan,
Ashoka Road, New
Delhi – 110 001.

Subject:- Application for allotment of Common Symbol under Para 10B of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order 1968.

Sir,

It is requested that ___________________ (Name of the applicant party) may be allotted common symbol under para 10B of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, for the general election to ………………………………. (mention the election) . The Particulars required under Para 10B of the said Symbol Order, 1968 are furnished as under:-

I.	Name of the Political party:	
II.	Office address of the headquarters of the Party as intimated to the Commission:	
III	Name of the general election for which common Symbol is sought :	
IV	Parliamentary Election	
	(a) States in which concession is sought:	

	(b) Total No. of Parliamentary constituencies in which party intends to contest election in each State referred to at (a) above			
	Note:- If the application is for more than one State, separate State-wise no. of constituencies should be furnished			
V	Assembly Election			
	(a) Name of the State			
	(b) Total No. of Assembly constituencies in which party intends to contest election.			
	Note:- If the application is for more than one State, separate State-wise no. of constituencies should be furnished			
VI	Choice of Symbol in order of preference	Name of Symbol	Whether it is free symbol as notified* by the Commission	Whether it is new symbol proposed by the party@@
	* {The existing free symbols notified by the Commission can be seen on the Commission's Website http://eci.gov.in at the following path Menu>Political Parties & Election Symbol> Symbol Order, Proforma of 10Betc.>List of free symbols as notified by the Commission.} @@ {In case of new symbols please furnish the design of the symbol(s) }	1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15)		
VII	Was the party been allotted common symbol in any general election earlier?			

	If yes, (a) (i) The name and year of that General Election (ii) No. of constituencies in which the party set up its candidates at the above elections	
	(b) Name of symbol allotted on that occasion	
	(c) Whether any candidate set up by the party was elected as MP/MLA at the election referred to at (a) above?	
VIII	For unrecognized parties which were earlier recognized party more than 6 years back	
	(a) Choice of Symbol	
	(b) Whether the symbol mentioned at VIII(a) above was reserved symbol of the party when it was recognized	
	Note:- These parties can seek allotment of their erstwhile reserved symbol as common symbol under Para 10B	
IX	Whether undertaking has been given as per **Annexure I**?	
X	E-mail id, Fax No. of the Party	
XI	Telephone No.	

Note:-

1. It may be noted that in case the party intends to contest election in all parliamentary/assembly constituencies of a State, the party will have to submit an Affidavit duly notarized and signed by the President or General Secretary or a person holding equivalent level position in the party, as per specimen attached at Annexure-II

2. It may also be noted that the concession of allotment of common symbol to the candidates of a registered un-recognised party under the paragraph 10B of the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 1968 shall be available to a party only at any **two** general elections to the House of People, **or** any **two** general elections to a State Legislative Assembly or at one general election to the house of the People and the other at a general election to a State Legislative Assembly, as the party may choose. However, if the Party has polled 1% of votes in the last occasion, it can apply again.

3. It may also be noted that the party will have to submit a Declaration confirming authorized office bearers on Commission's record and also attach a declaration of having submitted the requisite Contribution Report, Audited Annual Accounts and Election Expenditure Statement(s) of the Party to the office of Chief Electoral Officer of the State where the Party is having its headquarters. Declaration should be duly notarized and signed by the President or General Secretary or a person holding equivalent level position in the party, as per specimen attached at Annexure-III.

Date : Yours faithfully,

Signature :……..………..……………..

Name :………………………………

Designation: (President/General Secretary of the party)

Seal of the party :…………………

Annexure I

UNDERTAKING

I, Shri/Smt/Ms…………..President/General Secretary of……………………..……... ………….(Name of the party) hereby give an undertaking that –

(i) if the party does not set up candidates in the minimum number of the constituencies as prescribed in condition (i) Para 10B of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, its candidate shall not be entitled to allotment of a common symbol on the date of allotment of symbols to them; and in addition, the party shall be liable for such punitive action as the commission may consider appropriate; and

(ii) the names and Sl. Nos. of the Parliamentary/Assembly constituencies in which the party shall contest elections has been intimated/shall be intimated to the Commission at least 5 clear days before the date of notification of the general election.

Signature:……………..

Name :…………………

Designation: (President/General Secretary of the party)

Seal of the party:…………………

Annexure-II

Specimen of Affidavit to be signed by the President or General Secretary or a person holding equivalent level position in the party, to be sworn before a 1st Class Magistrate/Oath Commissioner/Notary Public.

I____(Deponent)
Son/Daughter of Shri ______________________________________ resident of
____
____ do

hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am President / General Secretary/a person holding equivalent level position of the _______________________________________
____________________(Please mention the Name of the Political Party).

2. That the party will set up candidates in all Parliamentary and/ or Assembly Constituencies of ______________________________________(Please mention the Name of State/UT/ All the States and UTs in India) for which the party has sought the facility of allotment of common symbol under Para 10B of the Election Symbol (Reservation & Allotment) Order, 1968.

3. I declare that the above facts are true and correct to the best of my knowledge and belief.

(Deponent)

<u>Annexure III</u>

DECLARATION

<u>(Specimen of Affidavit to be signed by the President or General Secretary or a person holding equivalent level position in the party, to be sworn before a 1st Class Magistrate / Oath Commissioner / Notary Public.)</u>

I, Shri/Smt/Ms…………...President/General Secretary of……………………..…….. ………….(Name of the party) hereby declare that:–

i The Party has conducted its organizational election as per approved tenure and the undersigned is presently an authorized office bearer of the Party as per the latest organizational details taken on record of the Election Commission of India;

ii The Party has submitted reports on contributions received and Annual Audited Accounts as per instruction nos. 76/PPEMS/Transparency/2013, dated 29.08.2014 and 76/PPEMS/Transparency/2014, dated 14.10.2014, for the last three Financial Years, to the office of the Chief Electoral Officer of the State where the party is having its headquarters (proof of service may be attached);

iii The Party has submitted Election Expenditure Statement(s) of the Party, as per the instruction nos. 76/PPEMS/Transparency/2013, dated 29.08.2014 and 76/PPEMS/Transparency/2014, dated 14.10.2014, for the last two elections the Party has contested (if any), to the office of the Chief Electoral Officer of the State where the party is having its headquarters (proof of service may be attached).

Signature:……………..

Name :…………………

Designation: (President/General Secretary of the party)

Seal of the party:…………………

निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 10ख के अंतर्गत एक समान प्रतीक के आबंटन के लिए आवेदन का प्रोफार्मा

(दल का नाम - दल का पत्रशीर्ष)

सेवा में

सचिव
भारत निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन सदन,
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

विषय:- निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 10ख के अंतर्गत एक समान प्रतीक के आबंटन के लिए आवेदन

महोदय,

अनुरोध है कि ____ (आवेदक दल का नाम) को ______________________________ (निर्वाचन का उल्लेख करें) के साधारण निर्वाचन के लिए निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 की धारा 10ख के अंतर्गत एक समान प्रतीक आबंटित किया जाए। उक्त प्रतीक आदेश, 1968 के पैरा 10ख के अंतर्गत अपेक्षित विवरण नीचे दिए गए हैं:-

I	राजनीतिक दल का नाम:	
II	दल के मुख्यालय के कार्यालय का पता जो आयोग को सूचित किया गया है	
III	उस साधारण निर्वाचन का नाम, जिसके लिए एक समान प्रतीक मांगा गया है:	
IV	संसदीय निर्वाचन	
	(क) वे राज्य जिनके लिए रियायत मांगी गई है:	
	(ख) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों की कुल सं. जिनमें दल ऊपर (क) में संदर्भित प्रत्येक राज्य में निर्वाचन लड़ने का इच्छुक है।	
	<u>नोट</u>:- यदि आवेदन एक से अधिक राज्य के लिए है तो निर्वाचन-क्षेत्रों की अलग-अलग राज्यवार सं. उपलब्ध कराई जानी चाहिए।	

V	विधान सभा निर्वाचन			
	(क) राज्य का नाम			
	(ख) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की कुल सं. जिनमें दल निर्वाचन लड़ने का इच्छुक है।			
	<u>नोट</u>:- यदि आवेदन एक से अधिक राज्य के लिए है तो निर्वाचन-क्षेत्रों की अलग-अलग राज्यवार सं. उपलब्ध कराई जानी चाहिए।			
VI	अधिमान क्रम में प्रतीक का विकल्प	प्रतीक का नाम	क्या यह आयोग द्वारा यथा-अधिसूचित* मुक्त प्रतीक है।	क्या यह दल @@ द्वारा प्रस्तावित नया प्रतीक है।
	*{आयोग द्वारा अधिसूचित मौजूदा मुक्त प्रतीक आयोग की वेबसाइट http://eci.gov.in पर निम्नलिखित पथ पर देखे जा सकते हैं Menu> Political Parties & Election Symbol>Symbol Order, Proforma of 10Betc.> List of free symbols as notified by the commission} @@ {नए प्रतीकों के मामले में कृपया प्रतीक (कों) के डिजाइन उपलब्ध कराएं}	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)		
VII	क्या आवेदक दल को पूर्व में किसी भी साधारण निर्वाचन में एक समान प्रतीक आबंटित किया गया है?			
	यदि हां, तो (क)(i) उस साधारण निर्वाचन का नाम एवं वर्ष (ii) निर्वाचन-क्षेत्रों की वह संख्या जिनमें दल ने उपर्युक्त निर्वाचनों में अपने अभ्यर्थी खड़े किए			
	(ख) उस अवसर पर आबंटित प्रतीक का नाम			
	(ग) क्या दल द्वारा खड़ा किया गया कोई भी अभ्यर्थी ऊपर (क) में संदर्भित निर्वाचन में संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ था?			

VIII	ऐसे अमान्यताप्राप्त दलों के लिए, जो 6 वर्ष से अधिक समय पहले मान्यताप्राप्त दल थे		
	(क)	प्रतीक का विकल्प	
	(ख)	क्या ऊपर VIII(क) में उल्लिखित प्रतीक उस समय दल का आरक्षित प्रतीक था, जब वह मान्यता प्राप्त दल था?	
	<u>नोट</u>:- ये दल पैरा 10ख के अंतर्गत अपने पूर्ववर्ती आरक्षित प्रतीक को एक समान प्रतीक के रूप में आबंटित करने की मांग कर सकते हैं।		
IX	क्या **<u>अनुलग्नक-I</u>** के अनुसार वचन-पत्र दिया गया है?		
X	दल का ई-मेल आईडी और फैक्स नं.		
XI	दूरभाष नं.		

<u>नोट</u>:-

1. यह नोट किया जाए कि यदि दल किसी राज्य के सभी संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन लड़ना चाहता है, तो दल को **<u>अनुलग्नक- II</u>** में दिए गये नमूने के अनुसार दल के अध्यक्ष या महासचिव या ऐसे व्यक्ति जो दल में समतुल्य स्तर के पद का धारण करते हैं, की ओर से विधिवत रूप से नोटरीकृत एवं हस्ताक्षरित शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
2. यह भी नोट किया जाए कि निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 10ख के अंतर्गत पंजीकृत अमान्यताप्राप्त दल के अभ्यर्थियों को एक समान प्रतीक के आबंटन की रियायत, दल को सिर्फ लोक सभा के किन्हीं **दो** साधारण निर्वाचनों में, **या** राज्य विधान सभा के किन्हीं **दो** साधारण निर्वाचनों में या लोक सभा के एक साधारण निर्वाचन में और राज्य विधान सभा के एक साधारण निर्वाचन में, जैसा भी दल चुने, उपलब्ध होगी। यद्यपि, यदि दल ने पिछले अवसर पर 1% मत प्राप्त किया हो तो वह पुन: आवेदन कर सकता है।
3. यह भी नोट किया जाए कि दल को आयोग के अभिलेख में अधिकृत पदाधिकारियों की अभिपुष्टि करते हुए घोषणा प्रस्तुत करनी होगी तथा यह घोषणा भी संलग्न करनी होगी कि दल ने अपेक्षित अंशदान रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे और निर्वाचन व्यय विवरण उस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर दी है जहां दल का मुख्यालय स्थित है। यह घोषणा **अनुलग्नक-III** पर संलग्न नमूने के अनुसार विधिवत रूप से नोटरीकृत और दल के अध्यक्ष या महासचिव या दल में समतुल्य स्तर का पद धारित करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए।

दिनांकः

भवदीय,

हस्ताक्षर: . . . .

नाम: . . . .

पदनाम (दल के अध्यक्ष/महासचिव)

दल की मुहर: . . . .

<u>अनुलग्नक - I</u>

वचन-पत्र

मैं, श्री/श्रीमती/सुश्री . . . . (दल का नाम) . . . . का/की अध्यक्ष/महासचिव एतदद्वारा वचन देता/देती हूं कि-

(i) यदि दल निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 10ख की शर्त (i) में यथा- विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की न्यूनतम संख्या में अभ्यर्थियों को खड़ा नहीं करता है तो इसके अभ्यर्थी उन्हें प्रतीकों के आबंटन की तारीख पर एक समान प्रतीक के आबंटन के लिए हकदार नहीं होंगे; और इसके साथ-साथ, दल ऐसी दण्डात्मक कार्रवाई का भागी भी होगा जैसा आयोग उपयुक्त समझे; और

(ii) उन संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के नाम और क्रम संख्याएं जिनमें दल निर्वाचन लड़ेगा, सूचित कर दिया गया है/साधारण निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से कम से कम 5 पूर्ण दिवस पहले आयोग को सूचित कर दिया जाएगा।

हस्ताक्षर: . . . .
नाम: . . . .
पदनाम (दल के अध्यक्ष/महासचिव)
दल की मुहर: . . . .

<u>अनुलग्नक- II</u>

<u>दल के अध्यक्ष या महासचिव या ऐसे व्यक्ति जो दल में समतुल्य स्तर के पद के धारक हैं, के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाने वाला शपथ-पत्र, जिसकी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/शपथ आयुक्त /नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी है, का नमूना</u>

मैं ....(अभिसाक्षी) पुत्र/पुत्री श्री .... निवासी .... एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूं और निम्नलिखित के अनुसार कथन करता/करती हूं:-

1. कि मैं .... (कृपया राजनीतिक दल के नाम का उल्लेख करें) का अध्यक्ष/महासचिव/समतुल्य स्तर के पद का धारक हूं।
2. कि दल ....(कृपया भारत के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम का उल्लेख करें) के सभी संसदीय और/या विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी खड़े करेगा जिसके लिए दल ने निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 10ख के अंतर्गत एक समान प्रतीक के आबंटन की सुविधा मांगी है।
3. मैं घोषणा करता/करती हूं कि उपर्युक्त तथ्य मेरी सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं विश्वास में सत्य एवं सही हैं।

(अभिसाक्षी)

<u>**अनुलग्नक- III**</u>

<u>घोषणा</u>

(<u>दल के अध्यक्ष या महासचिव या ऐसे व्यक्ति जो दल में समतुल्य स्तर के पद के धारक हैं, के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाने वाला शपथ-पत्र, जिसकी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/शपथ आयुक्त /नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी है, का नमूना</u>)

मैं, श्री/श्रीमती/सुश्री ....अध्यक्ष/महासचिव .... (दल का नाम) एतद्द्वारा घोषित करता/करती हूं कि -

i दल ने अनुमोदित कार्यकाल के अनुसार अपना संगठनात्मक निर्वाचन संचालित कर लिया है और अधोहस्ताक्षरी वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के अभिलेख में लिए गए नवीनतम संगठनात्मक विवरणों के अनुसार दल का अधिकृत पदाधिकारी है;

ii. दल ने अनुदेश सं. 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013, दिनांक 29.08.2014 और 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2014, दिनांक 14.10.2014 के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए प्राप्त अंशदानों और वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे पर रिपोर्टें उस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर दी हैं जहां दल का मुख्यालय स्थित है। (तामील का सबूत संलग्न किया जाए)

iii. दल ने अनुदेश सं. 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013, दिनांक 29.08.2014 और 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2014, दिनांक 14.10.2014 के अनुसार अपने द्वारा यदि पिछले दो चुनावों में चुनाव लड़ा गया हो तो उनका निर्वाचन व्यय विवरण उस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया गया है जहां दल का अपना मुख्यालय स्थित है। (तामील का सबूत संलग्न किया जाए)

हस्ताक्षरः....................................

नामः....................................

पदनामः (दल के अध्यक्ष/महासचिव)

दल की मुहर............................